दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:25.01.2010

<u>रि.या.(सि.) 4631/2008</u>

एच.सी./डी.वी.आर. शिव कुमार सिंह। .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आई.वी. राघव और श्री एस. बी. राघव, अधिवक्ता

बनाम

गृह मंत्रालय और अन्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: अश्विनी भारद्वाज, अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायाधीश गीता मित्तल
माननीय न्यायाधीश सुरेश कैत

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. संवाददाता के पास प्रेषित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हाँ

<u>गीता मित्तल, न्या.</u> (मौखिक)

1. नियम डी.बी. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के नियम में नोटिस को माफ कर देता है। जिस अभिलेख को सुनवाई की अंतिम तिथि पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, वह भी उपलब्ध कराया गया है। अधिवक्ताओं को सुना गया है।

2. रिट याचिका उप-निरीक्षक/मशीन तकनीशियन के पद पर याचिकाकर्ता की पदोन्नति को अभिखंडित करने वाले प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित दिनाँक 16 अप्रैल, 2008 के आदेश को चुनौती देती है। इस याचिका को जन्म देने वाले निर्विवाद तथ्यों पर आगे ध्यान दिया जाता है।

3. याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से दिनाँक 27.07.1971 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) (इसके बाद संक्षिप्त में 'कांस्टे/सा.ड्यू.') के पद पर नियुक्त किया गया था और नवंबर 1989 से वह 82वीं बटालियन, के.रि.पु.बल में तैनात था। याचिकाकर्ता ने सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज-I के.रि.पु.बल, नीमच में हेड कांस्टेबल/चालक ('एच.सी./चालक') के पद से उप-निरीक्षक/मशीन तकनीशियन ('उप-निरि./मशी.तकनी') के पद पर पदोन्नति के लिए सफलतापूर्वक पदोन्नति पाठ्यक्रम शुरू किया और 'ग' ग्रेडिंग के साथ अर्हता प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दो अन्य उम्मीदवारों के साथ के.रि.पु.बल के

महानिदेशक द्वारा जारी दिनाँक 27.09.2007 के आदेश द्वारा उप-निरि./मशी.तकनी' के पद पर पदोन्नत किया गया था।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान, पानी के टैंकर सं. डीएल आई जीसी- 0731 द्वारा एक दुर्घटना के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ दिल्ली के कल्याण पुरी पुलिस स्टेशन द्वारा भा.दं.सं. की धारा 279/304-क के तहत प्राथमिकी सं. 97/06 दर्ज की गई थी। उस दुर्घटना में दिल्ली के खिचरीपुर निवासी एक नागरिक ओम प्रकाश की कथित तौर पर मौत हो गई थी। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि इस ओर से याचिकाकर्ता का अभियोजन दिल्ली के कड़कड़डूमा में जिला अदालतों में लंबित है।

5. हालाँकि याचिकाकर्ता इस मामले में बेगुनाही का अनुरोध करता है और तर्क देता है कि दुर्घटना उसके कारण किसी भी गलती से नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक साइकिल सवार ने एक नागरिक को टक्कर मार दी जो नशे की हालत में चल रहा था। साइकिल चालक के साथ इस टक्कर और उसकी नशे की हालत के कारण, यह नागरिक खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था और गुजरने वाले पानी के टैंकर के बाएं सामने और पीछे के पहियों के बीच गिर गया, जिसे दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता उस समय चला रहा था। याचिकाकर्ता का

दावा है कि उसने मृतक को तत्काल सहायता प्रदान की है जो दुर्भाग्य से बच नहीं सका।

6. हमारा ध्यान जाँच न्यायालय की ओर आकर्षित किया गया है जिसे घटना में आदेश दिया गया था और कथित दुर्घटना में प्रत्यर्थी द्वारा संचालित किया गया था। जाँच ने संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। जाँच में सामने लाई गई सामग्री पर विस्तृत विचार करने के बाद, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें याचिकाकर्ता को घटना में किसी भी दोष या उत्तरदायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। इस जाँच न्यायालय के निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है और इसके प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:-

> "अदालत में गवाहों के दस्तावेज़/बयान और निष्कर्षों को देखने के बाद यह राय है की हेड कांस्टेबल/चालक शिव कुमार नंबर 710040841 जल ट्रक ड्यूटी पर दिनाँक 24.02.2006 को जल बिन्दु द्वारा पानी लेने के बाद बटालियन के मुख्यालय की और अग्रसर था। खिचरीपुर रोड पर एक साइकिल सवार ने पार करते समय पीछे से एक नागरिक श्री ओम प्रकाश को टक्कर मार दी। शराब के नशे में होने के कारण ओम प्रकाश खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और पानी के ट्रक के बाएं सामने और पीछे के पहिये के बीच गिर गए। भीड़ के कारण खिड़की के बाईं ओर बैठे नजर रखे हुए. कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) अशोक कुमार के कॉल पर चालक वाहन को रोकने में कामयाब रहा, इससे पहले कि वह नागरिक के शरीर को पार कर सके।जनता की मदद से

उन्हें एल.बी.एस. अस्पताल ले जाया गया और निपूर्ण चिकित्सक ने उन्हें स्थिर, होश में पाया और पैर के अंगूठे पर चोट के अलावा कोई चोट नहीं थी। बाद में होली फैमिली अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट के परिणामस्वरूप हेमोरेजिक सदमे के कारण उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। हेड कांस्टेबल/चालक आर. शिव कुमार के प्रालेख को देखने पर यह संकेत मिलता है कि वह एक अनुभवी चालक है जिसने पिछले 27 वर्षों की सेवा में गाड़ी चलाने के लिए कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने के बाद नागरिक ओम प्रकाश को सड़क पर गिरने के प्रभाव के कारण आंतरिक चोट लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और चालक ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया तो वाहन उनके शरीर पर चढ़ गया होता। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता का यह तर्क कि पानी के ट्रक ने नागरिक ओम प्रकाश को टक्कर मार दी और पानी के ट्रक की गति तेज थी, विचार के बाद प्रतीत होता है। यदि नागरिक को पानी के ट्रक ने टक्कर मार दी होती तो वह बाएं पहिये के सामने गिर जाता, जबकि वह बाएं आगे और पीछे के पहिये के बीच में गिर जाता। दूसरा, अगर पानी के ट्रक की गति तेज होती तो सामने और पीछे के बाएं पहिये के बीच में गिरने वाले व्यक्ति को बचाना असंभव होता। तीसरा, शाम के समय वह भी 18:30 से 19:30 बजे के बीच बहुत भीड़ होती है और तेज गति से बहुत भारी वाहन चलाना बेहद असंभव है। अतः यह पाया जाता है कि चालक की कोई गलती नहीं है। वाहन नं. डीएल-जीए-0731 को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सड़क की स्थिति और भीड़ को ध्यान में रखते हुए, खिचरीपुर मार्ग से बचा जाना चाहिए और

वैकल्पिक मार्ग अधिमानतः मुख्य सड़क द्वारा से अपनाया जा सकता है।

7. याचिकाकर्ता की परिवेदना है कि मृतक के रिश्तेदारों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उक्त प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में एक आरोप पत्र दायर किया गया था जो अभी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित है जब उसे प्रचार पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया था और उसे दिनाँक 27.09.2007 के आदेश द्वारा कई अन्य उम्मीदवारों के साथ पदोन्नत किया गया था।

8. प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि पदोन्नति इस शर्त के अधीन थी कि जिन व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था वे सतर्कता और विभागीय पूछताछ से मुक्त हैं और आपराधिक आरोपों के लिए कोई लंबित अभियोजन नहीं है। उपरोक्त शर्त को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त आपराधिक मामले की स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता से प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता की ओर से इस आशय का रुख अपनाया गया कि जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया था, वह नैतिक अधमता के दायरे में नहीं आता है और वह साशय, , आपराधिक, या जानबूझकर किया गया अपराध नहीं था और इसलिए ऐसे मामले में विवक्षा उसे भर्ती/पदोन्नति आदि के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा।

9. याचिकाकर्ता की ओर से इस रुख की कानूनी स्थिति के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा जांच की गई थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्रत्यर्थीगण की राय

थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला अभी भी लंबित होने के कारण, उन्हें स्वामी की स्थापना और प्रशासन नियमावली के अध्याय 54 के पैरा 11.3 में निहित प्रावधान के अनुसार उप-निरि./मशी.तकनी' के पद पर तब तक पदोन्नत नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता। इस कारण से, दिनाँक 16 अप्रैल, 2008 को अनुमोदित दिनांकित एक संकेत द्वारा, याचिकाकर्ता को पदोन्नति की अनुमोदित सूची से हटा दिया गया और उक्त पद पर उनकी पदोन्नति भी अभिखंडित कर दी गई।

10. याचिकाकर्ता ने हमारे सामने प्रत्यर्थीगण की इस कार्रवाई पर अभ्याक्रमण (हमला) किया है। उपरोक्त कथन से हम पाते हैं कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता आलिप्त गया था और अभी भी आपराधिक आरोप के लिए अभियोजन का सामना कर रहा है।

11. विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा जिन प्रावधानों पर भरोसा किया गया है, उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। आपराधिक अभियोजन के अलावा, पदोन्नति के लिए निर्धारित एक सरकारी कर्मचारी को सतर्कता जांच या अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91 - स्थापित(क) 14 सितंबर, 1992 को दिनांकित और स्वामी की स्थापना और प्रशासन पर पूर्ण नियमावली के पैरा 11.1 और 11.2 में निकाला गया। पदोन्नति के लिए विचार के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करते समय, प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।यह प्रावधान किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति लंबित अभियोजन को ध्यान में रखते हुए अन्य योग्य उम्मीदवारों के साथ ऐसे सरकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करेगी। हालांकि, फिटनेस और उसके द्वारा दिए गए ग्रेडिंग के संबंध में इसके मूल्यांकन को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना आवश्यक है, जिसे इस प्रभाव के लिए टिप्पण के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। जहाँ तक डी.पी.सी. की कार्यवाही का संबंध है, यह निर्धारित किया गया है कि इसमें यह नोट किया जाएगा कि निष्कर्ष संलग्न सीलबंद लिफाफे में निहित हैं। रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को केवल एक कार्यवाहक क्षमता में उच्च श्रेणी में रिक्ति को भरने की आवश्यकता होती है जब एक सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्षों को एक

सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। पैरा 11.3 में सरकारी निर्देश का उल्लेख किया गया है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन समाप्त होने तक इस प्रक्रिया का पालन बाद में बुलाई गई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

12. इस संबंध में ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 2010 में यू.ओ.आई. बनाम शीर्षक से रिपोर्ट की गई उच्चतम न्यायालय की घोषणा का भी उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। के.वी. जानकीरमन आदि, जिसमें इस मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र जारी होने के बाद ही सीलबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। इस चरण से पहले की कोई भी कार्यवाही सीलबंद आवरण प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्राधिकरण के लिए अपर्याप्त आधार है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और कहा कि पदोन्नति को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि कुछ कार्यवाहियां लंबित हैं। हालाँकि, ऐसा केवल उस स्तर पर किया जा सकता है जब आरोप पत्र पहले ही जारी किया जा चुका हो। वास्तविक पदोन्नति से पहले काल्पनिक पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के अवशिष्ट के सवाल पर प्राधिकरण पर निर्भर करेगा, जो आपराधिक कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगा।

13. ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1488 में दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम एच.सी. खुराना शीर्षक वाले शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि 'सील्ड कवर प्रक्रिया' दो स्थितियों में लागू होती है। पहला, जहां एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। दूसरा, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कानूनी सिद्धांत अच्छी तरह से तर्कपूर्ण था जिसमें कहा गया था कि कार्यवाही लंबित होने पर पदोन्नति असंगत और सार्वजनिक नीति के खिलाफ और अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों के खिलाफ भी होगी। दूसरी ओर, कर्मचारी पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना अनुचित और मनमाना होगा। इसलिए, इन प्रास्थगन हितों को समेटने के लिए, परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन पर लागू किया जाना चाहिए।

14. वर्तमान रिट याचिका में यह तथ्य निर्विवाद है कि आपराधिक अभियोजन लंबित है और आरोप पत्र दायर किया गया है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्व-नोटिस किए गए कानूनी सिद्धांत के आलोक में, याचिकाकर्ता के मामले में 'सीलबंद आवरण प्रक्रिया' को अपनाया जाना चाहिए था।

15. तथ्यों के उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, सीलबंद आवरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने संजय कुमार और कृष्ण कुमार के मामलों पर भरोसा किया है, जो प्रत्यर्थीगण के साथ भी काम कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि उन्हें मामलों में फंसाया गया था और पदोन्नति के लिए विचार के समय आपराधिक अभियोजन चलाया गया था। इसलिए उन्हें इसी तरह याचिकाकर्ता के रूप में रखा गया था। निवेदन यह है कि, इसलिए, याचिकाकर्ता पदोन्नति का भी हकदार है।

16. जहाँ तक संजय कुमार का संबंध है, प्रत्यर्थी ने बताया है कि वह किसी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़े आपराधिक मामले में शामिल नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि पुलिस ने दिनाँक 24 जून, 2004 को संजय कुमार से जुड़े मामले को दर्ज किया है, लेकिन पक्षों ने 13 सितंबर, 2005 को मामले को सुलझा लिया था और मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था। यहाँ तक कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजे की याचिका का निपटारा जनवरी, 2006 में किया गया था। इन कारणों से अगस्त, 2007 में संजय कुमार के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था जब उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। किशन कुमार के संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी के पास अभियोजन विचाराधीनता होने का कोई

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, इन मामलों पर याचिकाकर्ता की निर्भरता उचित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोजन विचाराधीनता होने की अनदेखी नहीं की है।

17. किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता के मामलों पर विचार करने वाली विभागीय पदोन्नति समिति को जिस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था, उसे ध्यान में रखते हुए, हमें इस सवाल पर आगे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या प्रत्यर्थीगण ने उद्धृत उदाहरणों में विचलन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विभागीय पदोन्नति समिति को याचिकाकर्ता पर पदोन्नति के लिए विचार करने की आवश्यकता थी जो विचाराधीन क्षेत्र में था। जहाँ तक उनकी पदोन्नति का संबंध है, विभागीय पदोन्नति समिति की श्रेणीकरण और सिफारिशों को तब तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना आवश्यक था जब तक कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती। इसका पालन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता को वास्तव में पदोन्नत किया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के दिनाँक 16 अप्रैल, 2008 के विवादित आदेश द्वारा उसकी पदोन्नति अभिखंडित कर दी गई है।

18. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दिनाँक 16 अप्रैल, 2008 का आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे दरकिनार और अभिखंडित कर दिया जाता है। नतीजतन, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को दी गई श्रेणीकरण के साथ-साथ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसकी सिफारिश को आपराधिक अभियोजन में अधिनिर्णय और परिणाम तक एक सीलबंद लिफाफे में बनाए रखना होगा। इसके बाद, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।

19. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता 30.11.2009 तब से पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। इस पृष्ठभूमि में भले ही याचिकाकर्ता अंततः आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त हो जाए, यह स्पष्ट है कि इसके परिणामस्वरूप वह केवल वित्तीय लाभ का हकदार होगा। उपरोक्त के संदर्भ में जो लाभ पदोन्नति से प्राप्त हो सकते हैं, यदि कोई हो।

20. तदनुसार, यह आगे निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी लंबित आपराधिक मामले का परिणाम प्राप्त होने तक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को सीलबंद लिफाफे में रखेगा। यदि याचिकाकर्ता को वहां से बरी कर दिया जाता है, तो वह लागू नियमों के अनुसार उच्च पद पर सेवा के सभी वित्तीय और अन्य लाभों का हकदार होगा।

21. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पदोन्नति के पहलू को अंतिम रूप दिए जाने तक, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को उसकी अधिवर्षिता के समय उसके द्वारा धारण किए गए पद के संबंध में नियमों के अनुसार उसकी अधिवर्षिता पर उपार्जित अन्य सभी बकाया और पेंशन लाभ जारी करने के लिए बाध्य हैं। इस संबंध में कार्रवाई सकारात्मक रूप से की जाएगी और तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

22. इस रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है। पक्षकारों को दस्ती देने का आदेश दिया जाए।

गीता मित्तल, न्या.

सुरेश कैत, न्या.

जनवरी 25, 2010
'श्री '

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*